न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2022(2022/111)

1. मैसर्स राजाजी ग्रेनाईट बघेरा जरिये भागीदार श्री वीरभद्रसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह राजपूत निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थी

उपस्थितः—

पैरोकार सरकार (जरीये तहसीलदार केकड़ी) — अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक 15.03.2023

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राज. काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की ग्राम/कस्बा हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक में स्थित आराजीयात का विवरण निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
414—133	26 41	2.05 0.60	नहरी 1 नहरी 1
	किता 2	कुल रकबा 2.65 हैक्ट	

प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 40 फीट चौडा है जो सिवायचक खसरा नम्बर 4666, 4670, 4655 में स्थित है जो ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी की हद में आता है। प्रार्थी की आराजी में आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 4666, 4670, 4655 में स्थित है। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में जाने आने के एकमात्र कदीमी रास्ता जो कि सिवायचक खसरा नम्बर 4666, 4670, 4655 में स्थित है, को अन्य राजकीय कार्य हेतु आरक्षित करते हुए रास्ते को बंद करने की दिनांक 24.02.2022 से ही धमकियां दे रहे है जबकि प्रार्थी ने काफी मिन्नते की कि उक्त आराजीयात में जाने आने का एकमात्र कदीमी रास्ता पूर्वजो के समय से ही उक्त सरकारी भूमि में से ही होकर है, लेकिन अप्रार्थी नही माने एवं जबरन रास्ता बंद करने की धमकियां देते हुए कार्यवाही करने की चेतावनी दी इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी अगर उक्त खसरा नम्बर 4666, 4670, 4655 में स्थित रास्ते को अवरूद्ध कर देते है तो प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में जाने आने, ट्रेक्टर, हल कुली या कृषि यंत्र लाने ले जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पडेगा एवं प्रार्थी फसल बोने से वंचित हो जायेगा। अतः प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात में आने जाने, बैलगाडी, ट्रेक्टर, ट्रोली, कृषि उपज को लाने व ले जाने हेतु खसरा नम्बर 4666, 4670, 4655 सरकारी भूमि में स्थित 40 फुट कदीमी रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज करवाये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी रास्ते हेतु नियमानुसार प्रतिकर अदा करने के लिए तैयार व तत्पर है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी की ओर से जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम हिसामपुर जिला टोंक के खसरा नम्बर 26 रकबा 2.05 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थी वर्तमान में संलग्न नक्शे में वर्णित मौके पर मौजूद कदीमी रास्ता से ग्राम बघेरा के खसरा संख्या 4666, 4670 की मेर से आवागमन कर रहा है।
3. प्रार्थी के खेत के निकटतम दूरी से ग्राम बघेरा से हिसामपुर पक्की सड़क निकलती है।
4. ग्राम बघेरा से हिसामपुर पक्की सडक से होते हुए मौके पर मौजूद कदीमी रास्ते से खसरा संख्या 4666 व 4670 की मेर से संलग्न नक्शे अनुसार आवागमन सुविधाजनक है
5. बिन्दु संख्या 04 में वर्णित कदीमी रास्ता मौके पर मौजूद है लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नही है।

प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल खसरा नम्बर 4666 की उत्तरी मेड पर 60 X 9 =540 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 4670 की दक्षिणी मेड पर 200 X 9 =1800 वर्गमीटर कुल 2340 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है। जिसमें डी.एल.सी. दर 275988/– के दोगुना राशि से प्रतिकर राशि 129121/– रूपये बनती है ।

7. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

उपस्थित पक्षकारान की ससम्मान बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा वक्त सुनवाई प्रार्थनापत्र पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया जाकर बताया गया कि प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। अतः रास्ता दिया जाना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी अपने कदीमी रास्ते से सदैव के लिए वंचित हो जायेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस पक्षकारान की बहस में बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु सुविधाजनक एवं निकटतम एवं उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार कि[illegible] जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी वाके ग्राम हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक के खसरा नम्बर 26, 41 में आने जाने के लिए ग्राम बघेरा तहसील केकंड़ी जिला अजमेर के आराजी खसरा नंबर 4666 की उत्तरी मेड से 60 X 9 =540 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 4670 की दक्षिणी मेड से 200 X 9 =1800 वर्गमीटर कुल 2340 वर्गमीटर जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 275988/– के दोगुना राशि से प्रतिकर राशि 129121/– (एक लाख उनतीस हजार एक सौ इक्कीस) रूपये बनती है। अतः उक्त राशि जमा कराने पर मौका रिपोर्ट में संग्लन नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार केकड़ी उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर रिपोर्ट एवं मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में दर्शाये अनुसार रास्ता को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेस खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner